

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960

(कानूनी नियम और आदेश)

<sup>1</sup>[प्ररूप 2क  
(नियम 7 देखिए)]

राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे सदस्य द्वारा, जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है मामूली निवास-स्थान के बारे में  
कथन

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ और नीचे वर्णित सशस्त्र पुलिस बल में यदि मेरी सेवा राज्य के बाहर न होती तो मैं---

गृह सं०.....

गली/मोहल्ला.....

परिक्षेत्र.....

नगर/ग्राम.....

डाकघर.....

पुलिस थाना.....

तहसील/तालुका.....

जिला.....

राज्य.....

में मामूली तौर से निवासी होता ।

मेरा पूरा नाम.....

पंक्ति.....

बक्सुआ सं०.....

सशस्त्र पुलिस बल का नाम.....

कमांडेंट के कार्यालय का नाम और पता.....

पिछले जन्म दिन पर आयु.....वर्ष

\* मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता हूँ कि मेरी पत्नी.....जिसकी आयु.....वर्ष है मेरे साथ, मामूली तौर से निवास करती है और वह भारत की नागरिक है।

मामूली निवास-स्थान के बारे में मैंने जो कोई कथन इससे पूर्व किया है वह एतद्द्वारा रद्द हो जाता है।

तारीख.....20.....  
(हस्ताक्षर)

\* यदि लागू न हो तो काट दीजिए ।

कमांडेंट का कार्यालय

सत्यापित किया और ठीक पाया गया।

फोलियो सं०..... (हस्ताक्षर).....

स्थान..... (पदाभिधान).....

तारीख..... कमांडेंट

(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग के लिए)

कथन.....200.....को प्राप्त हुआ.....सभा निर्वाचन-क्षेत्र (सं०.....) के लिए निर्वाचक नामावली में सेवा नियोजित मतदाता भाग क्रम सं०.....पर रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

तारीख.....20.....  
<sup>2</sup>[निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर] ]

<sup>1</sup> अधिसूचना सं० का० आ० 4371, तारीख 21 अक्टूबर, 1964 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> अधिसूचना सं० का० आ० 3874, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा “मुख्य निर्वाचन आफिसर” के स्थान पर प्रतिस्थापित।